न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 291/2012 **दायरा दिनांक : 10.09.2012**

उनवान

मोहन लाल आत्मज श्री लक्ष्मीचन्द जी लुहार, निवासी ग्राम कचनारियाकलां, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— गोपाल आत्मज श्री बदरया, लुहार, निवासी ग्राम कचनारियाकलां, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां (मृतक) कायम मुकामान :—

1/1— कमलेश पुत्री गोपाल, पत्नी आत्माराम जाति लुहार, निवासी ग्राम कचनारियाकलां, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां हाल निवासी बहगुह, तहसील अन्ता, जिला बारां

1/2— धनकुंवर बाई पुत्री गोपाल, पत्नी मूल चन्द जाति लुहार, निवासी ग्राम कचनारियाकलां, तहसील छीपाबडोद, हाल निवासी छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां

1/3— मेहताब बाई पुत्री गोपाल, पत्नी गुगल जी, जाति लुहार, निवासी ग्राम कचनारियाकलां, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां हाल निवासी ग्राम देवपुरा

1/4— रमेशी बाई पुत्री गोपाल, पत्नी प्रेम लुहारजाति लुहार, निवासी ग्राम कचनारियाकलां, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां हाल नयापुरा, कोटा

1 / 5— स्वर्गीय ओम प्रकाश पुत्र गोपाल, जाति लुहार, निवासी ग्राम कचनारियाकलां, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां मृतक कायम मुकामान :—

1 / 5 / 1— रेखा बाई पत्नी ओम प्रकाश, जाति लुहार, निवासी ग्राम कचनारियाकलां, तहसील छीपाबडोद, जिला

1 / 5 / 2— लक्की आयु 6 वर्ष नाबालिग पुत्री ओम प्रकाश जर्ये वली माता रेखा बाई, जाति लुहार, निवासी ग्राम कचनारियाकलां, तहसील छीपाबडोद, जिला

1 / 5 / 3— विशाखा आयु 2 वर्ष नाबालिग पुत्री ओम प्रकाश जर्ये वली माता रेखा बाई, जाति लुहार, निवासी ग्राम कचनारियाकलां, तहसील छीपाबडोद, जिला

1 / 6— जगदीश पुत्र गोपाल, जाति लुहार, निवासी ग्राम कचनारियाकलां, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

2— तुलसां बाई पत्नी रामचरण जी, जाति लुहार, निवासी बापू कालोनी, कन्सुआ कोटा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

3— हनुमान जी महाराज मन्दिर कचनारियाकलां जर्ये संरक्षक कमेटी :—

3 / 1— श्याम बिहारी आत्मज श्री बजरंग लाल जी महाजन, निवासी ग्राम कचनारियाकलां, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

3 / 2— लक्ष्मीनारायण आत्मज श्री केशा जी, जाति माली, निवासी ग्राम कचनारियाकलां, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

3 / 3— रामनाथ आत्मज श्री सांवल्या जी, जाति लोधा, निवासी ग्राम कचनारियाकलां, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

3 / 4— जमनालाल आत्मज श्री औंकार जी, जाति लोधा, निवासी ग्राम कचनारियाकलां, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

3 / 5— धूलीलाल आत्मज श्री घासी जी, जाति भील, निवासी ग्राम कचनारियाकलां, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

4— राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार छीपबडोद, जिला बारां

5— द्रोपदी बाई पत्नी प्रभू लाल, जाति चमार, निवासी कचनारियाकलां, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

6— श्रीमती कलावती पत्नी श्योराम, चमार निवासी ग्राम कचनारियाकलां, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री रामप्रसाद नागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 04.12.2017

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, .छीपाबडोद के प्रकरण संख्या — 325/2004 निर्णय व डिक्री दिनांक 26.07.2012 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट गोपाल ने अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि वादी प्रतिवादीगण एवं राधा बाई पुत्री बदरया के

संयुक्त खाते में खतौनी संख्या 169 की आराजी खसरा नम्बर 612 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम कचनारियाकलां, तहसील छीपाबडोद में स्थित है । इस आराजी में वादी एवं राधी बाई का 1/4 – 1/4 हिस्सा है । प्रतिवादी क्रम 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 2 का 1/4 हिस्सा है जिसमें सहखातेदार राधी बाई ने अपना 1/4 हिस्सा वादी के पक्ष में हक त्याग किया है । इंतकाल संख्या 483 से वादी के खाते में यह आराजी दर्ज हो चुकी है । इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा है ।

पक्षकारान के संयुक्त खाते में खतौनी संख्या 168 की आराजी खसरा नम्बर 81 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 78 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 79 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 80 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 82 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 83 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 84 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 85 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा स्थित है । जिसमें सहखातेदार रतन लाल और राधी बाई ने अपने 1/4–1/4 हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग दिया है जिसका इंतकाल संख्या 483 तस्दीक किया जा चुका है । तद्नुसार वादग्रस्त आराजी में वादी का 3/4 हिस्सा है । सहखातेदार प्रतिवादी नम्बर 1 वादी के कब्जे काश्त में बेजा हस्तक्षेप करते हैं और शांतिपूर्ण काश्त में व्यवधान उत्पन्न करते हैं । अतः दावा वादी स्वीकार कर वादी का हिस्सा पृथक से दर्ज किया जाये । यदि दौराने दावा वादी को बेदखल किया जाता है तो प्रतिवादी से कब्जा दिलाया जाये ।

अधीनस्थ नयायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05. 2005 से दावा वादी स्वीकार किया है और विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है और दिनांक 28.05.2007 के निर्णय से विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की है इन दोनों निर्णयों के खिलाफ अपील पेश

होने पर इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 07.02.2008 से दोनों निर्णय अपास्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया था इसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित कर अपने पूर्व निर्णय दिनांक 28.05.2007 से जारी अंतिम डिक्री में मृतक प्रतिवादी के कायम मुकामान का नाम अंकित किया है । बंटवारा पूर्वत रखा है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दावा बिना किसी साक्ष्य के डिक्री कर दिया है जो त्रुटिपूर्ण है । अपीलांट को सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि ग्राम कचनारियाकलां में आराजी के बाबत सहायक कलेक्टर अटरू में एक दावा दिनांक 10.09.91 को दर्ज किया गया था जिसकी प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.01.94 को जारी की गई थी और तहसीलदार द्वारा बंटवारा प्रस्ताव पेश होने पर दिनांक 06.11.95 को अंतिम डिक्री जारी की गई है जिसकी अब तक अपील नहीं होने से अब दावा मेंटेनेबल नहीं था । आदेश धारा 10, 11, 15 को सी पी सी से बाधित है । इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.05.2008 की पालना में सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । गवाहों के एक तिथि में पेश नहीं होने पर बिना सूचना के अंतिम डिक्री जारी की है । राधी बाई ने अपीलार्थी के हक में हक त्याग पत्र 50/— रूपये के स्टाम्प पर एवं दो गवाहों के समक्ष सादे कागज पर आलेखित किया है जिसे राधी बाई ने कभी भे चुनौती नहीं दी है । हक त्याग करने के बाद उनका कोई हिस्सा वादग्रस्त आराजी में नहीं था । उसके बाद राधी बाई ने हक त्याग नहीं किया है । फर्जी हक त्याग के आधार पर रेस्पोडेंट को मालिक माना है । जवाबदावे एवं काउंटर क्लेम के आधार पर तनकीयात नहीं बनायी गयी है । खसरा नम्बर 612 एवं 78 अपीलार्थी के कब्जे में रहे हैं । अपीलांर्थी को नुकसान पहुंचाने के लिए रेस्पोडेंट के द्वारा खसरा नम्बर 612 में से 3 बीघा 14 बिस्वा द्रोपदी पत्नी प्रभू

लाल, कलावती पत्नी श्योराम को बेचान की है जिसका इंतकाल दर्ज हो चुका है फिर भी उन्हें पक्षकार बनाये बिना निर्णय पारित किया गया है । काउंटर क्लेम पर कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तथ्यों को छुपाकर दावा पेश किया है । पूर्व में दावा पेश किया था जिसे दिनांक 11.01.94 को और 06.01.95 को अंतिम डिक्री जारी की गई थी । अन्य दावा चलने योग्य नहीं था इस न्यायालय द्वारा रिमाण्ड किया गया । रिमाण्ड निर्देशों की पालना नहीं की गई है । अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवायी का समुचित अवसर नहीं दिया है । राधा बाई ने अपना हक पहले ही अपीलांट के पक्ष में त्याग दिया था उसके बाद वो वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार नहीं थे । कूटरचित हक त्याग के आधार पर दावा डिक्री किया गया है । दावा रेसज्यूडीकेटा से बाधित है और चलने योग्य नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेंट जितने हिस्से का सहखातेदार दर्ज है उतने हिस्से का विभाजन विधि सम्मत रूप से किया गया है । अपीलांट हक त्याग का कथन करते हैं परन्तु उनके द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील

सारहीन होने से खारिज की जाये । अपने पक्ष के समर्थन में आर बी जे 2001 (8) पेज 106 उद्धरत की ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी के द्वारा जो जवाबदावा मय काउंटर क्लेम पेश किया गया था जिसका जवाबुलजवाब वादी की ओर से पेश किया गया था । पत्रावली पर नकल जमाबंदी एक्जीविट पी–1 सम्वत 2056–60 सलंगन है जिसमें वादग्रस्त आराजी लक्ष्मीचन्द, रतन लाल, गोपाल और राधी पुत्र बदरया के खाते में दर्ज है । आराजी कुल 8 किता की 11 बीघा 5 बिस्वा है जिसमें नामान्तरकरण संख्या 483 का नोट अंकित है जिसके अनुसार रतन लाल और राधी बाई के हिस्से की आराजी गोपाल के नाम दर्ज की है । नकल जमाबंदी एक्जीविट पी 2 के अनुसार कुल 1 किता की 7 बीघा 8 बिस्वा आराजी लक्ष्मीचन्द, गोपाल वल्द बदरया राधी पुत्री बदरया हिस्सा 3/4 हनुमान जी महाराज मन्दिर हिस्सा 1/4 दर्ज है और नामान्तरकण संख्या 483 के अनुसार राधी बाई के हिस्से पर गोपाल लाल का नाम अंकित किया गया है । पत्रावली पर एक निर्णय की फोटो प्रति भी सलंग्न है जो न तो एक्जीविट है और न ही प्रमाणित प्रति है । इसके अलावा वादी की ओर से बयान पी डब्ल्यू 1 गोपाल, देवी सिंह पी डब्ल्यू 2, मूल चन्द पी डब्ल्यू 3 कराये गये हें । पत्रावली पर कुछ शपथ पत्र भी सलंग्न है उनके बयान नहीं कराये गये हैं ।

अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है जो न्यायालय के निर्णय की फोटो प्रति पेश की गई वो भी एक्जीविट नहीं करवायी गयी है । अपीलांट ने अपील में कुछ दस्तावेजात पेश किये हैं यद्यपि इन दस्तावेजात के साथ आर्डर 41 नियम 27 सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है परन्तु इन दस्तावेजात का अवलोकन करने से यह प्रतीत हो रहा है कि पक्षकारान

के मध्य पूर्व में भी एक दावा चला था जो दिनांक 06.11.95 को डिक्री किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट प्रतिवादी के द्वारा जो जवाबदावा पेश किया गया है उसमें बिन्दु संख्या 6 में यह अंकित किया गया है कि पूर्व में एक दावा चला था जिसका निर्णय हो चुका है और बिन्दु संख्या 8 में यह अंकित किया है कि खसरा नम्बर 612 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा का बेचान द्रौपदी बाई पत्नी प्रभू लाल, कलावती बाई पत्नी श्योराम को कर दिया है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो तनकीयात कायम की गई है, उनमें इसके बाबत कोई तनकी कायम नहीं की गई है जबकि पूर्व में अगर कोई दावे का निर्णय हो चुका है तो इस बाबत तनकी कायम किया जाना चाहिए कि यह दावा रेसज्यूडीकेटा से बाधित है अथवा नहीं । मद संख्या 11 में यह भी आपत्ति की गई है कि क्रेतागण को पक्षकार नहीं बनाया गया है यह दावा चलने योग्य नहीं है परन्तु इसके बाबत भी कोई तनकी नहीं बनायी गयी है ।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 07.02.2008 से प्रारम्भिक डिक्री और अंतिम डिक्री दोनों को ही निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया था और अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय में सिर्फ अन्तिम डिक्री में संशोधन किया है जबकि विधिक रूप से अधीनस्थ न्यायालय को पुनः प्रारम्भिक डिक्री जारी करनी चाहिए और राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में अंतिम डिक्री जारी करनी चाहिए । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं कर पाये हैं । पत्रावली पर प्रतिवादी की साक्ष्य से दिनांक 05.06.2012 की तिथि नियत की गई है और दिनांक 05.06.2012 को प्रतिवादी की साक्ष्य नहीं होने पर बन्द कर दी गई । हम न्याय हित में इस प्रकरण में प्रतिवादी को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का मौका प्रदान करना आवश्यक समझते हैं । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.07.2012 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जवाबदावे एवं काउंटर क्लेम में अंकित तथ्यों के आधार पर अतिरिक्त तनकी कायम करें और अतिरिक्त तनकीयात पर वादी को व समस्त तनकीयात पर प्रतिवादीगण को साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान करें और नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी करे और राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए अंतिम डिक्री जारी करें । प्रकरण का तीन माह के भीतर निस्तारण करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.02.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा